झारखण्ड सरकार श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

अधिसूचना

एस0ओ०		4.
न्यूनतम मजदूरी अधिनियम	1948	ा दनाक

प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद् संबंधी संलग्न अनुसूची—1 में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों मे नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक तालिका के स्तम्भ-2 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (डी) के प्रयोजन के निमित तालिका के स्तम्भ-3 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्र0 सं0	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य
1	2	सूचकांक (आधार वर्ष 2016 = 100)
1.	जनवरी, 2025	3
72		143.2
2.	फरवरी, 2025	142.8
3.	मार्च, 2025	
	Security Association	143.0
4.	अप्रैल, 2025	440.5
5.		143.5
	मई, 2025	144.0
6.	जून, 2025	
7.	VV9X	145.0
1.	कुल	861.5
8.	6 माह का औसत	
		861.5÷ 6 = 143.58
9.	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series	
	(2001 = 100)	143.58 × 2.88
	99	= 413.51 या 414
10.	जनवरी, 2023 से जून, 2023 की अवधि के	200 8
-	आधार पर पुनराक्षित/निधीरित औसत सुचकांक	386 बिन्दु
	सूचकाक में वृद्धि	414 - 386 = 28 बिन्द
1.	प्रतिशत वृद्धि = <u>28 x 100</u>	-114 300 - 28 19-G
1	386	7.25 %

परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस 2. औसत बिन्दु पर आधारित होंगी, जिस पर संलग्न अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित / पुनरीक्षित की गई है। उल्लेखनीय है कि जनवरी, 2023 से जून, 2023 की अवधि के औसत सूचकांक के आधार पर व झारखण्ड न्यूनतम् मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के बैठक के आधार पर पुनरीक्षित न्यूनतम् मजदूरी की मूल दरें दिनांक-11.03.2024 से प्रभावी है।



- 3. सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा ह्रास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ–3 में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाय जिस पर परिवर्तनशील महँगाई भत्ता की दरें निर्धारित/पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महँगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी।
- 4. परिवर्तनशील महँगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जनवरी से जून, 2025 (वर्ष-2025 का प्रथम अर्द्धांश) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक-01.10.2025 की तिथि से देय होगा।

संख्या—2/एम0डब्लू0—2071/20210, श्र0नि0, 2<u>ो</u> भू राँची, दिनांक <u>03/11/</u>

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवर सचिव

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

अधिसूचना

एस0ओo.....दिनांकका अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद—348 के खण्ड—3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से.

अवर सचिव.

श्रमायुक्त, कार्यालय, झारखण्ड।

NOTIFICATION

S.O....../dated/In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in schedule employments mentioned in the attached Schedule-1, for the months shown in column-2 of the schedule mentioned below, shall be as shown in column-3 of the said schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

S.N	Month & Year	All India Consumer Price
1	2	Index No. (2016 =100)
1	January, 2025	143.2
2	February, 2025	142.8
3	March, 2025	143.0
4	April, 2025	143.5
5	May, 2025	144.0
6	June, 2025	145.0
7	Total	861.5
8	Average	$861.5 \div 6 = 143.58$
9	Conversion from new series (2016 = 100) to Old series (2001 = 100)	143.58 X 2.88 = 413.51 OR,
10	Revised/determined average index based on the period January, 2023 to June, 2023	386 Point
1	Increase in CPI	414 - 386 = 28Point
11	Percentage Increase = 28 X 100	7.25 % increase

- 2. The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the schedule employments. It is noteworthy that on the basis of the average index for the period from January, 2023 to June, 2023 and on the basis of the meeting of Jharkhand Minimum Wage Advisory Board, the above revised basic rates of minimum wage are effective from 11.03.2024.
- 3. There will be increase or decrease in rates of wages shown in column-3 of schedule with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the schedule employments

De

and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages had been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

4. The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of January-June, 2025, which is 1st half of 2025, will be payable from 01.10.2025.

By Order of the Governor of Jharkhand,

Under Secretary,

Labour Commissioner Office, Jharkhand.

अनुसूची — 1

दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्षदातृ पर्षद के बैठक में हुए सहमति के आलोक में न्यूनतम मजदूरी पुनरीक्षण हेतु निर्धारित 90 अधिसूचित नियोजनों (12 खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण एवं झारखण्ड राज्य के क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नवत है :-

90 अनुसूचित नियोजन (खण्ड दर नियोजन सहित) का वर्गीकरण

क्र	7"II (p)	क्र	श्रेणी "ख"
सं	o (कुल 49 नियोजन)	संव	ત્રના લ
1	2	-	(कुल 41 नियोजन)
1.	नियोजन	में 1.	खण्ड् सारी उद्योग में नियोजन
2	। प्राप्त देन जाजारी ने स्ता न निवाजन	2.	खादी ग्रामोद्योग में नियोजन
3	इस अनुसूची में किसी भी अन्य प्रविष्टि वे अंतर्गत आने वाले के अलावा दुकानों य प्रतिष्ठानों या उद्योगों में नियोजन	3. T	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) में नियोजन
4	होटल, भोजन-गृहों एवं रेस्तराओं में नियोजन	4.	हैंडलूम उद्योग में नियोजन
5	सिनेमा उद्योग में नियोजन	5.	को-आपरेटिव सेक्टर में नियोजन
6	मेस, कैन्टीन एवं क्लब में नियोजन	6.	होजियारी निर्माण में नियोजन
7	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्ते) अधि० 1976 से आच्छादित नियोजन	7.	उड वर्क्स एवं फर्नीचर में नियोजन
9	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों में नियोजन सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा	8.	जनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान में नियोजन डेयरी एवं पोल्ट्रीफर्म्स में नियोजन
10	निर्माणकार्यों में नियोजन		
0(æ	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स में नियोजन	10.	सिलाई उद्योग में नियोजन
11	किसी विश्व विद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान में नियोजन	11.	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरेन्स ट्यूब निर्माण उद्योग में नियोजन
12	प्राइवेंट सिक्यूरिटी एजेंसी में नियोजन	12.	जिल्दसाजी उद्योग में नियोजन
13	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इंस्ट्च्यूट , निजी स्कूल आदि (गैर षिक्षण) में नियोजन	13.	दफ्ती, कार्डबोर्ड, पिलबोर्ड, कारगेटेड बोर्ड, एस्ट्राबोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण में नियोजन
14	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि में नियोजन	14.	प्लाइवूड उद्योग में नियोजन
15	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों में नियोजन	15.	बिस्कुट उद्योग में नियोजन
16	स्पंज आयरन, छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट में नियोजन	16.	मुद्रणालय में नियोजन
17	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाईप लाइन एवं केंबुल बिछाने में नियोजन	17.	पोट्रीज़ में नियोजन
	चार्टेड/कॉस्टअकाउंट्स/ऑडिटर/ टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक में नियोजन	18.	बेकरीज़ एवं कान्फकेशन में नियोजन
19	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	19.	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग में नियोजन

	Siz 53				(V (W)
	2	20 पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट में नियोजन	7 2	20.	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिंक्स में नियोजन
	2	21 अल्यूमिनियम उद्योग में नियोजन	1 2	11.	पाडतेट क्रिक्ट गाउँ गाउँ के के
	2	2 केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग	में 2	2.	प्राइवेट फेरिज एण्ड एल०टी०सी० में नियोजन फिशरीज़ में नियोजन
		नियोजन	" "		ाग्याल म ।नयाजन
	2	3 साबुन निर्माण उद्योग में नियोजन	2	3.	पंडाल आदि का साज सज्जा आदि मे
	-				नियोजन
	2	4 सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग में नियोजन	7 24	4.	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले
					शिइवर/ खलासी/ परिचालक आहि
	2	5 एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना में नियोजन			नियोजन
	26	व ग्लास सीट निर्माण में नियोजन	25		मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप में नियोजन
	27		26		धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान में नियोजन
	28		27		कृषि नियोजन
	29		28		बुहारने और सफाई का कार्य में नियोजन
	-	उद्योग में नियोजन	29		सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग में नियोजन
	30		30.		
	31		31.		केन्दू पता तोड़ने एवं तैयार करने में नियोजन
		। नियाजन	31.		लादने-उतारने में नियोजन
	32	ढलाई (फाउण्ड्री उद्योग) में नियोजन	32.	+	मिट्टी काटने के कार्य में नियोजन
	33	कोल ब्रिकेट उद्योग में नियोजन	33.	7	ईंट निर्माण में नियोजन
	34 35	मिनरल ग्राईंडिंग में नियोजन	34.		बीड़ी निर्माण में नियोजन
	33	ग्राईंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर में नियोजन	35.	388	पावरलूम इण्डस्ट्रीज में नियोजन
İ	36	हार्ड कोक भट्टा में नियोजन	26		
		*	36.		वन का संचालन तथा लकड़ी काटने के कार्यों
-	37	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं में	37.	`	म ।नयाजन
-	100000	ानयाजन -	٥,,	1	हैयर कंटिग सैलून में नियोजन
	38	चर्म-वस्तु निर्माण में नियोजन	38.	3	असली रेषम, कृत्रिम रेषम तथा स्टेपूल धागों
ŀ	39	Jed IIe day		1	ने निर्माण सहित सिल्क उद्योग में नियोजन
	00	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) में	39.	U	त्थर तोड़ने एवं पीसने में नियोजन
		नियोजन		1	
	40	सीमेंट से हयूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं	40	+	
j		रलव स्लापर बनाने के उद्योग में नियोजन	40.	5	॥य बगान में नियोजन
	41	डिस्टीलरी में नियोजन	41.	न	रेलू नौकर का नियोजन
	42	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई में		١٩	रणू नाकर का नियाजन
	43	नियोजन			
	44	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप में नियोजन इलेक्ट्रोनिक उद्योग में नियोजन			
-	45				
	10	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण			5
	46	दुकानों को छोड़कर) में नियोजन			
-	2000	मोटर बॉडी बिल्डिंग में नियोजन			
	7/	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण में नियोजन			
2	48	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन	1		
-	19	झारखण्ड राज्य में सरकारी कार्यालयों			av .
		/ उपक्रमा / बोर्ड / स्थानीय विकास से			# 15
		कार्यरत कर्मचारियों के नियोजन			

झारखण्ड राज्य के जिलों /क्षेत्रों का वर्गीकरण

क्र0स0	श्रेणी	आच्छादित क्षेत्र
1	2	
1	А	राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र।
2	В	"A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र। नगर परिषद् व नगर पंचायत)
3	С	राज्य के अन्य क्षेत्र

"A" श्रंणी के क्षेत्र (राँची नगर निगम, चास नगर निगम, धनबाद नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम एवं जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र, मानगो नगर निगम, जुगसलाई नगर परिषद् क्षेत्र एवं आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र) हेतु दिनांक—01.10.2025 से निर्धारित न्यूनतम् मजदूरी (V.D.A. सिहत) इस प्रकार है:—

दैनिक दरें

क्र.	कोटि	क श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिव		* 1 t
सं.		दिनांक— 11.03.2024 से निर्घारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई मत्ता (दिनांक 01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक— 11.03.2024 से निर्घारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक— 01.10.2025 से	<u>पानक दर्</u> कुल
1	2	3	4	5	-	देय)	
1	अकुशल	468	34		6	7	8
_			34	502	446	32	478
2	अर्द्धकुशल	491	36	F07			
		¥	00	527	468	. 34	502
3	कुशल	647	47	694			
-		100 - 2000 2000 - 2000		094	616	45	661
4	अतिकुशल	746	54	000			E B
	0 27	121 (2018/5)	5 -7	800	711	52	763

मासिक दरें

क्र. सं.	कोटि	कोटि क श्रेणी दरें			'ख' श्रेणी	के नियोजन हेतु	दैनिक दर्रे
		दिनांक— 11.03.2024 से निर्घारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक— 01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक— 11.03.2024 से निर्घारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई मत्ता (दिनांक— 01.10.2025 से	कुल
1	2	3	4	5	-	देय)	
1	अकुशल	12,168	882		6	7	8
-	1000	12,100	002	13050	11596	841	12437
2	अर्द्धकुशल	12,766	926	40000		Waste St.	12407
		,, 00	320	13692	12168	882	13050
3	कुशल	16,822	1220	40046			.0000
- 4		,522	1420	18042	16016	1161	17177
4	अतिकुशल	19,396	1406	00000		22 MANAGEMENT	
	5.87	.0,550	1406	20802	18486	1340	19826

"B" श्रेणी के क्षेत्र ("A" श्रेणी को छोड़कर अन्य सभी जिलों के नगरनिकाय क्षेत्र) हेतु दिनांक— 01.10.2025 से निर्धारित न्यूनतम् मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:—

दैनिक दरें

क्र. सं.	कोटि	क अंणी	के नियोजन हेतु	'ख' श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरे			
	3	दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई मत्ता (दिनांक— 01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मुल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक— 01.10.2025 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अकुशल	446	32	478	425	31	456
2	अर्द्धकुशल	468	34	502	446	32	478
3	कुशल	617	45	662	588	43	631
4	शतिक शान	V. ROD 200			±	.0	031
4	अतिकुशल	712	52	764	678	49	727

मासिक दरें

क्र.	कोटि	कोटि "क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें				"ख" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें		
सं.		दिनांक— 11.03.2024 से निर्घारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक— 01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक- 11.03.2024 से निर्घारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई मत्ता (दिनांक— 01.10.2025 से	दानक दर कुल	
1	2	3	4	5	6	देय) 7		
1	अकुशल	11,596	841	12437	11050	801	8 11851	
2	अर्द्धकुशल	12,168	882	13050	(1505			
8 10			002	13030	11596	841	12437	
3	कुशल	16,042	1163	17205	15288	1108	16396	
1	अतिकुशल	19.510	10.10				. 5000	
	5111	18,512	1342	19854	17628	1278	18906	

"C" नणी के क्षेत्र (राज्य के नगर निकाय क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्र) हेतु दिनांक-01.10.2025 से निर्धारित न्यूनतम् मजदूरी (V.D.A. सहित) इस प्रकार है:-

दैनिक दरें

क्र. सं.	कोटि	कोटि "क" श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरें			'ख' श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरे		
		दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई मत्ता (दिनांक— 01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक— 11.03.2024 सें निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई मत्ता (दिनांक— 01.10.2025 से देय)	कुल
1	2	3	4	5	6	(4)	
1	अकुशल	425	31	456	405	7	8
				100	405	29	434
2	अर्द्धकुशल	446	32	478	425		
		20 14		470	425	31	456
3	कुशल	588	43	604			
	ĵ.	-30	73	631	560	41	601
4	अतिकुशल	679				12	
		678	49	727	646	47	693

मासिक दरें

क्र. सं.	कोटि	"क" श्रेणी	के नियोजन हेतु	'ख' श्रेणी के नियोजन हेतु दैनिक दरे			
		दिनांक— 11.03.2024 से निर्घारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई भत्ता (दिनांक— 01.10.2025 से देय)	कुल	दिनांक— 11.03.2024 से निर्धारित मूल मजदूरी	परिवर्त्तशील महँगाई मत्ता (दिनांक— 01.10.2025 से देय)	कुल
	2	3	4	5	6	7	
1	अकुशल	11,050	801	11851	10530	763	11293
2	अर्द्धकुशल	11,596	841	12437	11050	801	11851
3	कुशल	15,288	1108	16396	14560	1056	15616
4	अतिकुशल	17,628	1278	18906	16706		
				10300	16796	1218	18014

2. यह अधिसूचना दिनांक-01.10.2025 से प्रभावी होगी।

टिप्पणी :--

- (क) न्यूनतम मजदूरी की मूल दरों का पुनरीक्षण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 386, जो जून, 2023 के सूचकांक व झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की बैठक में हुए सहमति/विमर्श पर आधारित है।
- (ख) जनवरी, 2025 से जून, 2025 तक का औसत सूचकांक 414, जिस पर महँगाई भत्ता देय है।
- (ग) झारखण्ड न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद की सहमति के आलोक में परिवर्त्तनशील महँगाई भत्ता पूर्णांक (round off) में परिवर्तित कर दिया गया है।
- (घ) न्यूनतम मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा—4 की उप धारा—4(1) के खण्ड (III) के अन्तर्गत होंगी।
- (ड़) मासिक मजदूरी की दरों का दैनिक मजदूरी की दरों में तथा दैनिक मजदूरी की दरों का मासिक मजदूरी की दरों में रुपांतरण क्रमशः 26 से भाग दे कर और 26 से गुणा कर के किया जाएगा।
- (च) न्यूनतम मजदूरी की उपर्युक्त निर्धारित दरों में सात दिनों की अवधि में विश्राम के दिन के लिए कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक शामिल है।
- (छ) साप्ताहिक विश्राम के दिन काम करने वाले कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी नियमावली, 1951 के नियम–25 में विहित दर से समयोपरि काम का भुगतान पाने का हकदार होगा।
- (ज) पुरुष या स्त्री कामगार एक ही काम या उसी प्रकार के काम के लिए समान दर पर मजदूरी पायेंगे।



Annexure- 1

In the light of the consensus reaches in the meeting of Jharkhand Minimum Wages Advisory Board on October 11, 2023, the classification of 90 notified schedule Employments (including 12 Piece rated schedule Employments) fixed for the minimum wage revision and the classification of areas of Jharkhand state is made as follows:-

Classification of 90 Scheduled Employments (including Piece Rate Employment)

Sl. No	CAILGURY "\p"	SI No	CAILGURY "eg."
1.	 Employment in Shops selling cooked food stuff Employment in Petrol & Diesel Pumps 		Employment in Khand Sari Industry
5-7-50-			Employment in Khadi & Village Industry
	3. Employment in shops or establishment other than that covered under any of the other entries in this schedule		Employment in Mica Works (Factories &Estd. excluding Mines)
4.	Employment in Hotels, Eating Houses & Restaurants.	4.	Employment in Handloom Industries
5.	Employment in Cinema Industry	5.	Employment in Co-operative sector.
6.	Employment in Mess, Canteen & Clubs	6.	Employment in Hosieries Manufacturing.
7.	Employment in sales promotion (Conditions of service) Act, 1976.	7.	Employment in Wood works & Furniture.
8.	Employment in Dam Construction & Irrigation.	8.	Employment in Any woolen carpet making and shawl weaving establishments
9.	Employment in Construction or Maintenance of Road or in building construction.	9.	Employment in Dairies and Poultry Farms.
0.	Employment in Private Hospitals Nursing Homes and Clinics	10.	Employment in Tailoring Industry
1.	Educational Research or Cultural Institution.	11.	Employment in Electric & other type of Bulbs & Florence Tube manufacture Industry
2.		12.	Employment in Book Binding Industry
	Employment in Private Technical Institution, Coaching Institute & Private Schools (Non-teaching).		Employment in Dafti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory.
.	Employment in Computer Educational 1 Institute etc.		Employment in Plywood Industry

1:	5. Employment in Rice Mill, Flour Mills, Dal Mills & Oil Mills.	1	5. Employment in Biscuits Industry
16		1	6. Employment in Printing Press.
17		1	7. Employment in Potteries.
18	Employment in Chartered/Cost Accounts Auditors, Tax Consultancy and Architects	, 18	B. Employment in Bakeries & Confectionaries.
19	Employment in Mobile Tower	19	
20.		20	Employment in Ice cream and cold drink
21.	Employment in Aluminum Industry	21	and cold drink
22.	Emploment in Chemical Pharmaceutica Industry	1 22	Troy ment in Thivate Terries and L.T.
23.		23	Employment in Decoration of Pandal etc.
∠→.	Figure in Coment prestessed	24	The state of the s
25.	products Industry.		Driver/Conductor & Cleaners.
26.	Employment in Asbestos Cement Factory	25.	Employment in Motor garages & Workshops.
27.	Employment in Glass Sheet Building	26.	Employment in Religious & Social Industry.
	Employment in Gun Factory	27.	Employment in Agriculture.
28.	Employment in Paper Industry	28.	Employment in Sweeping & Cleaning.
29.	Employment in Refractories, Fire Bricks, Ceramic Industry.	29.	Employment in Sindur and colour manufacturing Industries.
30.	Employment in Plastic Industry	30.	Employment in Plucking and Processing of kendo-leaves
31.	Employment in glass industries (excluding glass sheet)	31.	Employment in Loading and Unloading Operation.
32.	Employment in Foundry Industries	32.	Employment in Earth Cutting Operation
33.	Employment in Coal Briquette Industries	33.	Emmlar
4.	Employment in Mineral Grinding	34.	Employment in Brick Manufacturing
11	Industries	54.	Employment in Beedi Manufacturing.
5.	Employment in Grinding and Crushing of Mineral ore.	35.	Employment in Power Loom Industry
6.	Employment in Hard coke ovens.	36.	Employment in Forestry and Timbering Operation
7.	Employment in Tanneries & Leather manufactory.	37.	Employment in Hair Cutting Saloon
3.	Employment in Leather goods Manufacturing.	38.	Employment in Silk Industry Manufactory from pure Silk, artificial
).]	Rubber and rubber compound industry (in	39.	silk and other staple yarn Employment in Stone Breaking and Stone Crusher Operation

VI.

	which manufacture of tyre & tube is also included).		
40.	Employment in Cement Hume Pipe, Electric Pole & Railway Sleeper manufacture Industry	40.	Employment in Tea Plantation
41.	Employment in Distilleries.	41.	Employment of Domestic Servant
42.	Employment in Electricity Generators and supply.		
43.	Employment in Auto Mobile Engineering.		
44.	Employment in Electronic Industries.		
45.	Employment in Minor Engineering Industry (excluding Auto Mobile Engineering Shops)		
46.	Employment in Motor Body Building		
47.	Employment in Manufacture of Gold/Silver Ornaments & Articles of Artistic Design		
48.	Employment in Cold Storage.		
49.	Employments of workers engaged in Government Offices/Undertakings/Boards & Local Bodies in the state of Jharkhand.		

Classification of districts/ areas of Jharkhand State.

Sl.No.	Category	Covered Areas
1	2	2
1	A	Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas.
2	В	All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category)
3	C	Other areas of the state.



The Minimum Wage for "A" Category area (Ranchi Municipal Corporation, Chas Municipal Corporation, Dhanbad Municipal Corporation, Deoghar Municipal Corporation, Hazaribagh Municipal Corporation and Jamshedpur Notified Area, Mango Municipal Corporation, Jugsalai Municipal Council and Adityapur Municipal Corporation Areas) from dated 01.10.2025 is as follows:-

Daily Rates

Sl.No.	Category	Daily wa	ges for 'क' Cat Employment	egory' of	Daily wages for '硒' Category' of Employment		
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total
1	2	3	4	5	6	7	
1	Unskilled	468	34	502			8
			04	302	446	32	478
2	Semi Skilled	491	36	527	468	34	502
3	Skilled	24-				54	302
3	>idiled	647	47	694	616	45	661
4	Highly Skilled	740				8928	001
(400 4)0	S J Janea	746	54	800	711	52	763

Monthly Rates

Category		Employment	tegory' of	Daily wages for '편' Category' of		
	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f.	Total
2	3	4	5	6	30	
Unskilled	12.168	882	(57)			8
	,	002	13050	11,596	841	12437
Semi Skilled	12.766	000				9
	12,700	926	13692	12,168	882	13050
Skilled	16 922	1000				
0.000	10,022	1220	18042	16,016	1161	17177
Highly Skilled		Sec. of the second				
gary Skilled	19,396	1406	20802	18,486	1340	19826
	2 Unskilled Semi Skilled	Basic wages fixed as on 11.03.2024 2	Employment Basic Variable dearness fixed as on 11.03.2024 w.e.f. 01.10.2025 2 3 4 4	Employment Total	Employment Basic Wariable Total Basic Wages fixed as on 11.03.2024 W.e.f. 01.10.2025 2 3 4 5 6 6 12,168 Semi Skilled 12,766 926 13692 12,168 Skilled 16,822 1220 18042 16,016 Highly Skilled 19,306 1400 10.0	Employment Basic wages Gixed as on 11.03.2024 We.f. 01.10.2025

Br.

The Minimum Wage for "B" Category area (All Civic Body/ Municipal Areas and Notified Area except "A" category) from dated 01.10.2025 is as follows:-

Daily Rates

Sl.No.	Category		ges for 'o' Cate Employment	egory' of	Daily wages for 'ভ্ৰ' Category' of Employment		
	2	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f.	Total
1	2	3	4	5	6		
1	Unskilled	446	32	478	425	31	8 456
2	Semi Skilled	468	34	502	446	32	478
3	Skilled	617	45	662	588	43	631
4	Highly Skilled	710					
	E	712	52	764	678	49	727

Monthly Rates

Sl.No.	Category		ges for 'क' Ca Employment	tegory' of	Daily wages for '평' Category' of		
	5	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f.	Total
	2	3	4	5	6	01.10.2025	
1	Unskilled	11,596		230		7	8
		11,090	841	12437	11,050	801	11851
2	Semi Skilled	10.100				20	
		12,168	882	13050	11,596	841	12437
3	Skilled	16.040					
200		16,042	1163	17205	15,288	1108	16396
4	Highly Skilled	40.00					
-	and a skilled	18,512	1342	19854	17,628	1278	18906

Re.

The Minimum Wage for "C" Category area (Areas other than municipal areas of the State) from dated 01.10.2025 is as follows

Daily Rates

Sl.No.	Category	0	ges for 'ゆ' Cate Employment	egory' of	Daily wages for '편' Category' of Employment			
		Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Unskilled	425	31	456	405	29	434	
2	Semi Skilled	446	32	478	425	31	456	
3	Skilled	588	43	631	560	41	601	
4	Highly Skilled	678	49	727	646	47	693	

Monthly Rates

Sl.No.		_=	ges for ' ō' Cat Employment	egory' of	Daily wages for 'ব্ৰ' Category' of Employment		
	- 5	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total	Basic wages fixed as on 11.03.2024	Variable dearness allowance w.e.f. 01.10.2025	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Unskilled	11,050	801	11851	10,530	763	11293
2	Semi Skilled	11,596	841	12437	11,050	801	11851
3	Skilled	15,288	1108	16396	14,560	1056	15616
4	Highly Skilled	17,628	1278	18906	16,796	1218	18014

Riz;

2. This notification will be effective from 01.10.2025.

NOTE:-

- (a) The Basic rates of Minimum wages are based on the All India Consumer Price Index Number 386, which is Price Index of June, 2023
- (b) The average index from January, 2025 to June, 2025 is 414, on which dearness allowance is payable.
- (c) In the light of the consent of Jharkhand Minimum wage Advisory Board, the rate of variable dearness allowance has been rounded off.
- (d) The rates of Minimum Wages shall be within the meaning of clause (III) Of sub-section (1) of section-4 of the Minimum Wages Act, 1948.
- (e) Conversion of the monthly rates of wages into daily rates of wages and vice versa shall be worked out by dividing the monthly rates by 26 and multiplying the daily rates by 26.
- (f) The rates of Minimum Wages above include the remuneration payable to the employees in respect of the day of rest in every period of seven days.
- (g) An employee shall, for the work done on the weekly day of rest, be entitled to overtime payment of the rate prescribed in rule-25 of the Jharkhand Minimum Wages Rules-1951.
- (h) Men and Women workers shall get the same rates of wages for the work of a similar nature.

By order of the Governor of Jharkhand,

Under Secretary,

Labour Commissioner Office, Jharkhand.

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2072/2010 श्र०नि० २२२२ राँची, दिनांकः 03/11/25

प्रतिलिपि:— अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५०० प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक—2/एम॰डब्लू॰—2072/2010 श्र॰नि॰ के राँची, दिनांकः के श्रीतिलिपिः— माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड. राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन ,प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।

ज्ञापांक-2/एम०डब्लू०-2072/2010 श्र०नि०.2.) राँची, दिनांकः <u>१७७</u>///

प्रतिलिपि:— अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली / उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल), भारत सरकार, नई दिल्ली / मुख्य श्रमायुक्त (केन्द्रीय), श्रम शक्तिभवन, नईदिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद / निदेशक, लेबर ब्यूरो, शिमला / चण्डीगढ़ / स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली / सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड / सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी उप विकास आयुक्त, झारखण्ड / सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद (केन्द्रीय) श्रम शक्तिभवन, नई दिल्ली / न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद (केन्द्रीय) श्रम शक्तिभवन, नई दिल्ली / न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्य गण / प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम, रांची / निदेशक, सूचना एवं जन—सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची / सभी विभागीय पदाधिकारियों (तकनीकी सहित) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,

श्रमायुक्त कार्यालय, झारखण्ड।